भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1211
6 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पंजाब में पीएम-एबीएचएआईएम के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर

†1211. श्री मलविंदर सिंह कंग:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजाब में आनंदपुर साहिब लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर मोहाली,रोपड़, होशियारपुर और नवांशहर जिलों में पीएम-एबीएचएआईएम योजना के अंतर्गत कोई स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र (आयुष्मान आरोग्य मंदिर) शुरू किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2021 से उक्त राज्य में जिला-वार विशेषकर बलाचौर और गढ़शंकर ब्लॉकों में नैदानिक सुविधाओं और मातृ स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत और उपयोग की गई है;
(ग) रोपड़ जिले के लिए प्रस्तावित गहन चिकित्सा देखभाल ब्लॉक (सीसीबी) की स्थिति क्या है और सीसीबी के वित्तपोषण के लिए ब्लॉकों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;
(घ) क्या खरड़ अर्ध-शहरी क्षेत्र में ब्लॉक स्तरीय अस्पतालों के उन्नयन के लिए कोई प्रस्ताव लंबित है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) के दौरान पंजाब में स्वास्थ्य अवसंरचना में कथित कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटकों (सीएस) वाली एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसका योजना अवधि (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26) के लिए परिव्यय 64,180 करोड़ रुपये है।

योजना के सीएसएस घटक के तहत, पंजाब राज्य को पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 22 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 21 गहन चिकित्सा परिचर्या ब्लॉकों (सीसीबी) की स्थापना के लिए कुल 755.65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अब तक, 22 आईपीएचएल और 22 सीसीबी के लिए 676.16 करोड़

रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार, रूपनगर जिला अस्पताल में 23.75 करोड़ रुपये की इकाई लागत पर एक 50 बिस्तरों वाले सीसीबी की स्वीकृती दी गई है।

पीएम-एबीएचआईएम के तहत परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, जनसंख्या और जिला अस्पतालों में मौजूदा बिस्तरों की संख्या के आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 602 जिलों को सीसीबी के लिए सहायता प्रदान की गई है, जिन जिलों में बिस्तरों की संख्या 200 से कम है, उन्हें 50 बिस्तर, 200-300 की संख्या वाले जिलों को 75 बिस्तर और 300 से अधिक बिस्तर वाले जिलों को 100 बिस्तर प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 5-20 लाख की जनसंख्या वाले 274 जिलों और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों वाले 226 जिलों को 50 बिस्तरों वाले सीसीबी के लिए सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पंजाब राज्य के लिए एनएचएम और पीएम-एबीएचआईएम के तहत केंद्रीय निधि के निर्गमन का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	एनएचएम के तहत केंद्रीय निर्गमन (रुपये करोड़ में)	पीएम-एबीएचआईएम के तहत केंद्रीय निर्गमन (रुपये करोड़ में)
2021-22	349.21	0.00
2022-23	448.39	24.16
2023-24	91.49	0.00
2024-25	878.21	8.92

नोट: उपरोक्त निर्गम केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों से संबंधित हैं और इनमें राज्य सरकार के हिस्से का अंशदान शामिल नहीं है।

कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पंजाब सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है। स्वीकृतियाँ नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं: https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=57&lid=70

पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) ने जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि में स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से अनुदान देने की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग के स्वास्थ्य अनुदान (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26) के तहत, कुल ₹2,130.71 करोड़ के आबंटन में से पंजाब राज्य के लिए ₹2,129.38 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

*****